प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2016**

विषयः- सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के अवर अभियन्ता के पद पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008)) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश संख्या-12/2015-वे0आ0-2-183/दस-62(एम)2008, दिनांक 24 मार्च, 2015 के माध्यम से दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू की गई है। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के अवर अभियन्ता के पदों के लिए ए0सी0पी0 की वर्तमान व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवर अभियन्ता वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200/- के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य होगा।

(2) अवर अभियंता के उक्त पदधारकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन वर्तमान में लागू सामान्य व्यवस्था के समान देय होंगे।

2- शासनादेश संख्या-12/2015-वे0आ0-2-183/दस-62(एम)/2008, दिनांक 24 मार्च, 2015 की व्यवस्था अवर अभियन्ता पद के सन्दर्भ में उपर्युक्त सीमा तक

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संशोधित समझी जायेंगी तथा शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी होंगी।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-36/2016/वे0आ0-2-848(1)/दस-62(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-**i** एव **ii** तथा आडिट **i** एवं **ii**, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

(7) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

(8) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।

(10) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(12) निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें/अरबी मदरसे, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(13) समस्त सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(14) उत्तर प्रदेश के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।

(15) कुल सचिव, किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी, लखनऊ।

(16) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

(17) प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

(18) कुल सचिव, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा।

(19) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) निदेशक, के0एन0इंस्टीट्यूट आफ साईंस एण्ड टेक्नालोजी, सुल्तानपुर।

(21) निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।

(22) निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।

(23) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

(24) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

(25) प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

(26) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

(27) प्रधानाचार्य, के0पी0(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

(28) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

(29) व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

(30) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(31) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

(32) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

(33) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साईट पर डाले जाने हेतु।

(34) गार्डबुक।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।